न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

अतिक्रमण अपील वाद सं0–06/2019–20

कमलेश पासवान बनाम **राज्य एवं जयनंदन सिंह**

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
13-9-19	**आदेश** प्रस्तुत अतिक्रमण अपील वाद कमलेश पासवान उर्फ कमलेश, पिता स्व0 राम प्रसाद पासवान, ग्राम–मोलाहीपुर राजस्व थाना सं0 107 थाना–बिहटा जिला–पटना के द्वारा अंचल अधिकारी, बिहटा के अतिक्रमण वाद सं0 09/2016–17 जयनंदन सिंह पिता स्व0 हरिद्वार सिंह, मोलाहीपुर थाना–बिहटा पटना में दिनांक–29.06.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध बिहार पब्लिक अतिक्रमण एक्ट की धारा–11 के अंतर्गत दिनांक–19.07.2019 को अपील आवेदन प्राप्त हुआ है। अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को वाद ग्रहण के बिन्दु पर सुना। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों से प्रतीत होता है कि सर्वे थाना 107 मौजा–पकड़ी, खाता सं0 28 प्लॉट सं0 328 एवं 329 रकबा 6+2 = 8 डी0 पर अतिक्रमण से संबंधित है। अंचल अधिकारी, बिहटा के द्वारा पारित आदेश एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति के नाम से लगान नहीं कट रहा है और न हीं बंदोबस्त है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त दोनों प्लौटों में अपीलकर्ता कमलेश पासवान एवं सूचित पासवान के द्वारा अतिक्रमण कर ईंट–सिमेंट का दिवाड़ बनाकर आम रास्ता को अवरूद्ध किया गया है। शेष भूमि पर जानवर का नाद–खुंटा और जानवर बांधकर अतिक्रमण किया गया है। प्रश्नगत भूमि का किस्म गैरमजरूआ परती कदीम दर्ज है। इसलिए विवादित भूमि सरकारी भूमि है। इस प्रकार सरकारी भूमि को अतिक्रमण कर दखल–कब्जा किया गया है जो अवैध है। विवादित भूखण्ड से संबंधित कोई भी साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ हीं अभिलेख पर उपलब्ध स्टील फोटोग्राफ से भी स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड को अतिक्रमण किया गया है। अतः अंचल अधिकारी, बिहटा के अतिक्रमण वाद सं0 09/2016–17 में दिनांक–29.06.2018 को पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। इसे सम्पुष्ट किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि विवादित भूखण्ड पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा किये गये अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से नियमानुकूल विधिवत् हटा दें। अपील आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 13/9/19 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। 13/9/19 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।	

(4)